REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2018⁄ फाल्गुन 8, 1939
No. 717]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018/ PHALGUNA 8, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2018

का.आ. 814(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 186बी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.
(1)	(2)	(3)	(4)
186बी	458	राजस्थान राज्य में लांडू पर रारा-58 के साथ अपने जंक्शन	65ए
		से प्रारंभ होकर खाटू, देगना, मेड़ता सिटी, लांबिया, [किमी	
		139.900 से किमी 163.800 (मेइता – लांबिया खंड) को	
		छोड़कर] , जैतरन, रायपुर को जोड़ते हुए और रारा-58 पर	
		भीम पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	

[फा.सं. एनएच-14012/12/2017-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण:राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस. आर. ओ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 541(अ), दिनांकित 06 फरवरी, 2018 द्वारा किया गया था।

1079 GI/2018

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2018

S.O.814 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 186B and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways	Old National Highways No.
(1)	(2)	(3)	(4)
186B	458	The highway starting from its junction with NH-58 at Landu connecting Khaatu, Degana, Merta City, Lambia, [excluding from Km 139.900 to 163.800 (Merta-Lambia Section)], Jaitaran, Raipur and terminating at Bheem on NH-58 in the State of Rajasthan	65A

[F. No. NH-14012/12/2017-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:- The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification no. S.O. 541(E) dated 6th February, 2018.